

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270212
SG-DL-E-17022026-270212असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2026/माघ 20, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 455
No. 41]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2026/MAGHA 20, 1947	[N. C. T. D. No. 455

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-एफएसएल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

फा. सं. 2(148)/एफएसएल/स्था0/भर्ती नियम/एसएसओ (जीव विज्ञान)/2024/626.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59 —एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 12 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं0 फा0 19/42/96/गृह-III विभाग/425-436 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, भर्ती नियमावली, 2025 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
 3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
 4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
 6. **बचाव** :— इन नियमों में किसी उल्लेख से भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	:	15*(2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500 /-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक शिथिलनीय) महत्वपूर्ण विवरण :- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक के स्तर पर समस्त तीनों वर्षों के दौरान एक विषय या पेपर के रूप में प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के साथ प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान या मानवशास्त्र या जीव विज्ञान या मानव जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान या आनुवंशिकी या जैव प्रौद्योगिकी या आणविक जीव विज्ञान या फॉरेंसिक विज्ञान में मास्टर डिग्री। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैव प्रौद्योगिकी में बी0ई0/बी0टेक।

			टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यता कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष अभ्युक्ति : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए परिवीक्षा की पूर्णता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
10.	भर्ती की पद्धति	:	50प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके ने होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) तथा 50प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है	:	पदोन्नति : ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन स्तर-07 (44,900-1,42,400/-रुपये) में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) । टीप 1:- भर्ती पद्धति की अधिसूचना की तारीख के अनुसार स्तर-6 (35,400-1,12,400/-रुपये) में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान) के पद पर मौजूदा पदधारी ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात् और कॉलम 7 के अन्तर्गत उल्लिखित शैक्षिक योग्यता रखने वाले पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। टीप 2:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंस्थान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400/-रुपये) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; अथवा

		(iii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400/-रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में दस वर्ष की नियमिति सेवा सहित या समकक्ष; और (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले। टीप 3:- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	: समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु) (क) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ख) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य (घ) प्रधान निदेशक/निदेशक, एफएसएल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— सदस्य समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) (क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य (ग) संबंधित विभाग का प्रधान निदेशक/निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।?	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार शर्मा, उप-सचिव (गृह)

HOME-FSL DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 6th February, 2026

No. F.2(148)/FSL/ESTT/RR/SSO(BIOLOGY)/2024/626.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Govt's Notification F.19/42/96/Home-III Deptt./425-436 year dated 12th August 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Senior Scientific Officer (Biology) in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement—

- (i) These rules may be called the Senior Scientific Officer (Biology) Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2025.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.**3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.**4. Disqualification:-** No person,-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**6. Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Scientific Officer (Biology)	15*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix	Selection	Not exceeding 35 Year (relaxable for govt. servants upto 5 yrs in accordance with instructions or orders issue by central govt.) Crucial description: The crucial date for determining the	Essential: Master's degree in Zoology or Botany or Microbiology or Anthropology or Biology or Human Biology or Life Science or Biochemistry or Microbiology or Genetics or Biotechnology or Molecular Biology or Forensic Science with Zoology or Botany as one of the subjects or papers

					age-limit shall be as advertised by the UPSC.	during all the three years of B.Sc level from recognized university. OR B.E./B.Tech in Biotechnology from a recognized university. Note-1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment,	In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age: No EQs: Yes	2 years Remark : Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration as prescribed by the competent authority for completion of probation	50% by Promotion failing which by Deputation (including short-term contract) And 50% by Direct Recruitment	Junior Scientific Officer (Biology) in the pay scale of level-7 (Rs. 44900-142400) with 05 years regular service in the grade. Note 1: The Existing incumbents to the post of Senior Scientific Assistant (Biology) in Level-6 (Rs.35400- 112400) as on date of notification of RRs will be eligible for promotion to the post after completing 08 years of Regular Service in the grade and possessing the educational qualification mentioned under Column No. 7. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are requisite not short of the qualifying/eligibility service by more than half of the such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (ISTC): Officers under the Central/State Government/Union Territories/Recognized Research Institutions/Public	Group 'A' DPC (For Promotion) a) Chairman/Member UPSC - Chairman b) Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi – Member c) ACS/ Pr. Secretary (Home), Govt. of N.C.T. of Delhi - Member d) Pr. Director/ Director, FSL, GNCTD - Member Group 'A' DCC (for confirmation) a) ACS/Pr. Secretary/ Secretary (Home), Government of N.C.T of Delhi - Chairman b) ACS/Pr. Secretary/ Secretary (Services), Government of N.C.T of Delhi - Member	Consultation with UPSC is necessary

			Undertakings/Autonomous organizations; (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department. OR (ii) With five years regular service in grade rendered after appointment there to on a regular basis in Level-7 (Rs 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department OR (iii) With ten years regular service in grade rendered after appointment there to on a regular basis in Level-6 (Rs-35400 - 112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; AND (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under Column No.7. Note 3: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.	c) Pr. Director/ Director of the concerned discipline, FSL, Govt. of NCT of Delhi –Member Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	
--	--	--	--	--	--

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy. (HOME)